

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम  
बेस्ट उपक्रम, बेस्ट भवन, बेस्ट मार्ग, कुलाबा, मुंबई – ४००००९  
संकेतस्थळ: [www.bestundertaking.com](http://www.bestundertaking.com)

जाहीर सूचना

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) च्या आ.व. २०२२-२३ आणि आ.व. २०२३-२४ चे अंतिम समायोजन, आ.व. २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन, आणि आ.व. २०२५-२६ पासून २०२९-३० पर्यंत असलेल्या पाचव्या नियंत्रण कालावधीच्या एकूण महसुली गरजेच्या प्रक्षेपणाकरीता दाखल केलेल्या बहु-वर्षिय वीजदर याचिकेवर मागविण्यात आलेल्या हरकती आणि अभिप्रायांबाबत

(२०२४ चे प्रकरण क्र. २०७)

१. बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम (बेस्ट) ने (२०२४ चे प्रकरण क्र. २०७) अन्वये आ.व. २०२२-२३ आणि २०२३-२४ चे अंतिम समायोजन, आ.व. २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन म.वि.नि. आयोग विनियम २०१९ प्रमाणे आणि आ.व. २०२५-२६ पासून आ.व. २०२९-३० पर्यंत असलेल्या म.वि.नि. आयोग विनियम २०२४ प्रमाणे पाचव्या नियंत्रण कालावधीच्या एकूण महसुली गरजेचे प्रक्षेपण, सद्य वीज दर आणि शूल्कांपासूनचा अपेक्षित महसूल, अपेक्षित वित्तीय तूट आणि प्रस्तावित प्रवर्गवार वीज दर यासंबंधी बहुवार्षिक वीज दर याचिका दाखल केली आहे.
२. आयोगाने दि. १४.०९.२०२५ रोजी याचिका दाखल करून घेतली आहे आणि बेस्टला वीज कायदा २००३ च्या कलम क्र. ६४(२) नुसार जनतेकडून हरकती आणि आक्षेप मागविण्यासाठी जाहीर सूचना प्रकाशित करण्याचा निर्देश दिला आहे.
३. याचिकेची ठळक वैशिष्ट्ये खाली दिली आहेत, जेथे मंजूर आकडेवारी म.वि.नि. आयोगाच्या दिनांक ३१ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या २०२२ च्या प्रकरण क्रमांक २१२ च्या आदेशानुसार आहे.
४. याचिकेची ठळक वैशिष्ट्ये खालील प्रमाणे आहेत:

अ. आ.व. २०२२-२३ आणि आ.व. २०२३-२४ चे अंतिम समायोजन आणि आ.व. २०२४-२५ चे तात्पुरते समायोजन:

सारणी १: आ.व. २०२२-२३, आ.व. २०२३-२४ आणि आ.व. २०२४-२५ करिता बेस्टची एकत्रित एकूण महसूल गरज (तार व वीज पुरवठा व्यवसाय) (रु. कोटी)

| तपशिल  | आ.व. २०२२-२३      |                 | आ.व. २०२३-२४      |                 | आ.व. २०२४-२५      |                 |
|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|  | आदेशात मंजूर खर्च | वास्तविक        | आदेशात मंजूर खर्च | वास्तविक        | आदेशात मंजूर खर्च | अंदाजित         |
| वीज खरेदी खर्च   | ३,३२३.१५          | ३,४२१.००        | ३,११३.०२          | २,८३७.८३        | ३,३३९.३७          | २,७२०.५०        |
| आंतर-राज्य पारेषण आकार   | २५६.७२            | २५४.२०          | २३२.१०            | २३३.६४          | २९९.३२            | २९७.५६          |
| एमएसएलडीसी शुल्क आणि राखीव आकार  | ९९.८०             | ९९.७९           | ९४.९६             | ९४.९५           | ९५.००             | ९४.९९           |
| संचालन व देखभाल खर्च   | ६३५.३३            | ६४०.११          | ६६२.१३            | ६६९.७२          | ६९०.०७            | ८२५.४७          |
| घसारा  | १०८.४५            | १०८.२७          | ११२.६३            | ११२.३४          | ११६.७१            | ११९.४९          |
| भांडवलावरील व्याज + इतर वित्त आकार                                     | -                 | ३.८२            | -                 | ३.९९            | -                 | १.०६            |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज  | ६.०९              | १२.११           | ६.९६              | १५.०४           | ७.७५              | १२.८१           |
| ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज  | १८.५४             | १५.८०           | २६.८२             | ३२.५७           | २६.८२             | ३६.७९           |
| बुडीत कर्जासाठी तरतूद  | ७.९७              | ५.६५            | ७.९७              | ६.६०            | ७.९७              | ६.७३            |
| आकस्मिक निधीकरिता योगदान   | -                 | ७.५३            | -                 | ७.९४            | -                 | ८.२३            |
| इतर खर्च   | २४.१९             | ३४.९७           | २४.१९             | ४२.२३           | २४.१९             | ४२.२७           |
| <b>एकूण महसूल खर्च</b>   | <b>४,४८०.२३</b>   | <b>४,६०३.२५</b> | <b>४,२८०.७९</b>   | <b>४,०५६.८५</b> | <b>४,६०७.२१</b>   | <b>४,१६५.८९</b> |
| अधिक: भाग भांडवलावरील परतावा   | १३९.११            | १५०.४४          | १४३.८२            | १५६.९७          | १४८.७२            | १४९.६२          |
| अधिक: अंतर्गत निधीवरील परतावा  | ५.२८              | ५.२८            | ५.२८              | ५.२८            | ५.२८              | ५.२८            |
| अधिक: वितरण हानीवरील नफा/(तोटा) वाटून घेणे                             | -                 | ०.०६            | -                 | ०.५७            | -                 | -               |
| अधिक: संचालन व देखभाल आणि आयओडब्ल्यूसी (IoWC) वरील नफा/तोटा वाटून घेणे | -                 | ११.९०           | -                 | १०.३४           | -                 | -               |
| <b>एकूण महसूली गरज</b>   | <b>४,६२४.६२</b>   | <b>४,७७०.९३</b> | <b>४,४२९.८९</b>   | <b>४,२३०.०१</b> | <b>४,७६१.२०</b>   | <b>४,३२०.७९</b> |
| वजा: वीजदराच्या व्यतिरिक्त उत्पन्न                                     | ३९.६०             | ६०.५८           | ६०.३६             | ४६.४४           | ६२.१७             | ४६.४४           |
| <b>एकूण महसूली गरज</b>   | <b>४,५८५.०२</b>   | <b>४,७१०.३५</b> | <b>४,३६९.५३</b>   | <b>४,१८३.५७</b> | <b>४,६९९.०३</b>   | <b>४,२७४.३५</b> |
| मागील कालावधीतील महसूली तूट/(शिल्लक)/विलंबानंतर                        | (२०६.६५)          | (२०६.६५)        |                   |                 |                   |                 |
| मागील कालावधीतील तूट/(शिल्लक) समाविष्ट करून एकूण महसूली गरज            | ४,३७८.३७          | ४,५०३.७०        | ४,३६९.५३          | ४,१८३.५७        | ४,६९९.०३          | ४,२७४.३५        |
| तार आणि पुरवठा व्यवसायातून महसूल                                       | ३,६६७.९८          | ३,५२७.४८        |                   | ४,१८८.८८        |                   |                 |
| महसूल तूट/(शिल्लक)   | ७१०.३९            | ९७६.२१          |                   | (५.३१)          |                   |                 |

सारणी २: आ.व. २०२२-२३, आ.व. २०२३-२४ आणि आ.व. २०२४-२५ ची ऊर्जा विक्री (द.ल.यु.)

| ग्राहक प्रवर्ग   | आ.व. २०२२-२३    |                 |               | आ.व. २०२३-२४    |                 |               | आ.व. २०२४-२५    |                 |               |
|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
|  | आदेशात मंजूर    | वास्तविक        | वास्तविक      | आदेशात मंजूर    | वास्तविक        | वास्तविक      | आदेशात मंजूर    | अंदाजित         | अंदाजित       |
|  | द.ल.यु.         | द.ल.यु.         | एमकेविएएच     | द.ल.यु.         | द.ल.यु.         | एमकेविएएच     | द.ल.यु.         | द.ल.यु.         | एमकेविएएच     |
| <b>उच्च दाब श्रेणी</b>   |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| उच्च दाब - I औद्योगिक  | १९०.३९          | १६५.५८          | १६६.४४        | १९४.२०          | १७२.२०          | १७५.२५        | २०३.९९          | १७७.२२          | १८०.०५        |
| उच्च दाब - II वाणिज्य  | २०८.४५          | २१९.९३          | २२४.३९        | २४५.९७          | २१४.४५          | २१८.२९        | २९०.२५          | २२०.६६          | २२४.५९        |
| उच्च दाब - III निवासी संकुल  | ३२.९२           | ३२.४०           | ३३.९६         | ३२.९२           | ३५.०७           | ३५.८६         | ३२.९२           | ३६.२७           | ३७.९२         |
| उच्च दाब - IV रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल                                       | २.५७            | २.९९            | २.५२          | २.५७            | २.३२            | २.६६          | २.५७            | २.६९            | ३.९०          |
| उच्च दाब - V (ए) - सार्वजनिक सेवा - सरकारी शैक्षणिक संस्था व इस्पितळे (सरकारी) | २७.७८           | २७.७६           | २८.२८         | २७.७८           | ३०.२४           | ३०.८४         | २७.७८           | ३१.९९           | ३१.८७         |
| उच्च दाब - V (बी) - सार्वजनिक सेवा - (इतर)                                     | १८६.०९          | १८८.७३          | १९१.७८        | १९७.९७          | २०१.५३          | २०५.४५        | १९९.९४          | २०७.७६          | २१२.९९        |
| उच्च दाब - VI विद्युत वाहन चार्जिंग  | -               | -               | -             | -               | -               | -             | -               | ३.३३            | ३.३५          |
| <b>उप एकूण</b>   | <b>६४७.३३</b>   | <b>६३६.५२</b>   | <b>६४६.४९</b> | <b>६९९.८२</b>   | <b>६५५.८२</b>   | <b>६६८.२६</b> | <b>७५५.७७</b>   | <b>६७९.९०</b>   | <b>६९३.०९</b> |
| <b>लघु दाब श्रेणी</b>  |                 |                 |               |                 |                 |               |                 |                 |               |
| लघु दाब - I (ए) निवासी (दारिद्र्य रेषेखालील)                                   | ०.०४            | ०.०३            |               | ०.०४            | ०.०४            |               | ०.०४            | ०.०४            |               |
| लघु दाब - I (बी) निवासी  | २१०३.७६         | २०४९.४७         |               | २१६६.८८         | २१६०.०५         |               | २२३९.८७         | २१६७.९६         |               |
| ०-१०० एकके   | ७४९.७९          | ७४८.२२          |               | ७७२.२९          | ७६२.९०          |               | ७९५.३७          | ७७९.४५          |               |
| १०१-३०० एकके   | ७२९.९०          | ६९६.९९          |               | ७४२.७३          | ७४२.७२          |               | ७६५.०९          | ७४२.०७          |               |
| ३०१-५०० एकके   | २३७.६२          | २१८.५९          |               | २४४.७५          | २४९.४०          |               | २५२.०९          | २३७.९२          |               |
| >५०० एकके  | ३९५.३३          | ३७८.५५          |               | ४०७.९९          | ४१३.८२          |               | ४१९.४०          | ४०८.५२          |               |
| लघु दाब - II (ए) वाणिज्य < २० के डब्ल्यू                                       | ८२६.४९          | ८२०.०९          |               | ९०९.९४          | ८७३.४९          |               | १०००.०५         | ८७६.३६          |               |
| लघु दाब - II (बी) वाणिज्य >२० व <=५० के डब्ल्यू                                | १७०.७६          | १७२.६७          |               | १७९.३०          | १८४.३७          |               | १८८.२६          | १८४.९८          |               |
| लघु दाब - II (सी) वाणिज्य >५० के डब्ल्यू                                       | ३५८.२३          | ३६५.७९          |               | ३६५.४०          | ३९३.८६          |               | ३७२.७९          | ३९५.९६          |               |
| लघु दाब - III (ए) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूपर्यंत)                               | १०५.७४          | १०३.९९          |               | ११२.०८          | १०६.७२          |               | ११८.८९          | १०७.०७          |               |
| लघु दाब - III (बी) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूच्या वर)                             | ७९.८९           | ७९.५३           |               | ८३.८०           | ७८.८२           |               | ८७.९९           | ७९.०८           |               |
| लघु दाब - IV (ए) सार्वजनिक सेवा - शासकीय इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था          | ६९.४०           | ६९.०३           |               | ६९.४०           | ६४.४९           |               | ६९.४०           | ६४.६२           |               |
| लघु दाब - IV (बी) सार्वजनिक सेवा - इतर   | १७८.८२          | १६९.०४          |               | १८७.७६          | १७८.७९          |               | १९७.९५          | १७९.३८          |               |
| लघु दाब - IV (सी) सार्वजनिक प्रकाश योजना                                       |                 | १५.४९           |               |                 | १६.६२           |               |                 | १६.६८           |               |
| लघु दाब - V (ए) शेतकीय - पंप संच   | -               | -               |               | -               | -               |               | -               | -               |               |
| लघु दाब - V (बी) शेतकीय - इतर  | ०.०५            | ०.०५            |               | ०.०५            | ०.१६            |               | ०.०५            | ०.१६            |               |
| लघु दाब - VI - विद्युत वाहन चार्जिंग   | १८.९७           | १८.४९           |               | २०.९०           | २७.००           |               | २४.०३           | ३१.४९           |               |
| <b>उप एकूण</b>   | <b>३,९०३.२७</b> | <b>३,८४६.८०</b> |               | <b>४,०८६.७३</b> | <b>४,०८४.३४</b> |               | <b>४,२८३.३७</b> | <b>४,१०२.९०</b> |               |
| <b>एकूण</b>  | <b>४,५५०.६०</b> | <b>४,४८३.३२</b> | <b>६४६.४९</b> | <b>४,७८६.५५</b> | <b>४,७४०.९५</b> | <b>६६८.२६</b> | <b>५,०३८.१४</b> | <b>४,७८९.२०</b> | <b>६९३.०९</b> |

सारणी ३: आ.व. २०२२-२३, आ.व. २०२३-२४ आणि आ.व. २०२४-२५ साठी वीज खरेदी खर्च

| तपशील                             | टाटा पावर जी | एमपीएल (MPL) | एसडब्ल्यूपी जीपीएल (SWGPL) | आरई स्रोत | अल्पकालीन (व्यापारी)/ विनियम/ द्विपक्षीय | युआय / डीएसएम | राखीव ऊर्जा | OLA विक्री + बँकिंग | राखीव आकार | पारेषण / एमएसएल डीसी आकार * | एकूण     |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------|--|---------------|-------------|---------------------|------------|-----------------------------|----------|
| मंजूर प्रमाण (द.ल.यु.)            | आ.व. २०२२-२३ | ३,०१२.६२     | ७४४.६०                     | -         | १६५.८९                                   | ९६९.६८        | (०.४०)      | ७.१०                | -          | -                           | ४,८९१.४९ |
|                                   | आ.व. २०२३-२४ | ३,२३१.३७     | ७४६.६४                     | -         | ९६८.०३                                   | १९८.५८        | -           | -                   | -          | -                           | ५,१४४.६१ |
|                                   | आ.व. २०२४-२५ | ३,१७८.८०     | ७४४.६०                     | -         | १,१७५.५२                                 | ३१५.५९        | -           | -                   | -          | -                           | ५,४१४.५२ |
| वास्तविक प्रमाण (द.ल.यु.)         | आ.व. २०२२-२३ | ३,०२९.९८     | ७१४.६६                     | -         | ६५.५२                                    | ९८४.४५        | ३३.१२       | ८.५९                | -          | -                           | ४,८३६.३२ |
|                                   | आ.व. २०२३-२४ | ३,३३५.२४     | ८२७.१९                     | -         | ३५.५८                                    | ८७१.१०        | ४०.३६       | २.५५                | -          | -                           | ५,११२.०२ |
|                                   | आ.व. २०२४-२५ | ३,१९६.३०     | ७६०.५६                     | ५१.१५     | ६५७.१५                                   | ५०४.४९        | (२३.५९)     | ३.७८                | -          | -                           | ५,१४९.८३ |
| मंजूर खर्च (रु. कोटी)             | आ.व. २०२२-२३ | २,३८०.८५     | ३१४.०५                     | -         | ८५.१९                                    | ५३९.४२        | ५.१३        | -                   | ९८.५३      | २५६.७०                      | ३,६७९.६७ |
|                                   | आ.व. २०२३-२४ | २,०९२.८५     | ३२४.७६                     | -         | ४८५.८९                                   | १४७.५४        | ६१.९७       | -                   | ९४.०३      | २३३.०३                      | ३,४४०.०८ |
|                                   | आ.व. २०२४-२५ | २,३००.८३     | ३३०.०५                     | -         | ५४६.५९                                   | १६१.९०        | -           | -                   | ९४.१०      | ३००.३१                      | ३,७३३.६९ |
| वास्तविक खर्च (रु. कोटी)          | आ.व. २०२२-२३ | २,५३०.२५     | ३०६.५८                     | -         | ४१.२९                                    | ५६०.९९        | (१८.१०)     | -                   | ९८.५३      | २५५.४६                      | ३,७७४.९९ |
|                                   | आ.व. २०२३-२४ | २,००२.४६     | ३५१.४५                     | -         | २८.३३                                    | ४२१.८८        | १०.५२       | २३.१८               | ९४.०३      | २३४.५६                      | ३,१६६.४१ |
|                                   | आ.व. २०२४-२५ | १,८२१.४९     | ३३३.९९                     | २८.४४     | २९०.६७                                   | २११.६५        | २९.०५       | २.९१                | ९४.१०      | ३०१.३९                      | ३,११३.०४ |
| मंजूर दर (रु./के.डब्ल्यूए एच.)    | आ.व. २०२२-२३ | ७.९०         | ४.२२                       | -         | ५.१३                                     | ५.६१          | -           | -                   | -          | -                           | ७.५२     |
|                                   | आ.व. २०२३-२४ | ६.९०         | ४.३५                       | -         | ५.०२                                     | ७.४३          | -           | -                   | -          | -                           | ६.६९     |
|                                   | आ.व. २०२४-२५ | ७.२४         | ४.४३                       | -         | ४.६५                                     | ५.१३          | -           | -                   | -          | -                           | ६.९०     |
| वास्तविक दर (रु./के.डब्ल्यूए एच.) | आ.व. २०२२-२३ | ८.३५         | ४.२९                       | -         | ६.३०                                     | ५.७०          | -           | -                   | -          | -                           | ७.८१     |
|                                   | आ.व. २०२३-२४ | ६.००         | ४.२५                       | -         | ७.९६                                     | ४.८४          | -           | -                   | -          | -                           | ६.१९     |
|                                   | आ.व. २०२४-२५ | ५.७०         | ४.३९                       | ५.५६      | ४.४२                                     | ४.२०          | -           | ७.६९                | -          | -                           | ६.०४     |

\* आंतरराज्य पारेषण आकार आणि एमएसएलडीसी आकार समाविष्ट आणि एनएलडीसी वारसा आकार आ.व. २०२४-२५ साठी समाविष्ट

सारणी ४: वितरण व्यवसायाचे संचयित महसुली तूट (रु./कोटी)

| तपशील                                     | आ.व. २०२२-२३ |               |               |               |                 |                 | आ.व. २०२३-२४   |               |               |                |                 |                |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|
|   | तार          | पुरवठा        | एकूण          | तार           | पुरवठा          | एकूण            | तार            | पुरवठा        | एकूण          | तार            | पुरवठा          | एकूण           |
|   | मंजूर        |               |               | वास्तविक      |                 |                 | मंजूर          |               |               | वास्तविक       |                 |                |
| वार्षिक महसूल गरज                         | ६४३.९७       | ३,९४१.०५      | ४,५८५.०२      | ६६८.१४        | ४,०४२.२०        | ४,७१०.३५        | ६६८.९७         | ३,७००.५६      | ४,३६९.५३      | ६९९.४७         | ३,४८४.१०        | ४,१८३.५७       |
| महसूल                                     | ६०१.२१       | ३,०६६.७७      | ३,६६७.९८      | ५९२.७०        | २,९३४.७८        | ३,५२७.४८        | ७५७.९८         | ३,५५६.०१      | ४,३१३.९९      | ७४६.५३         | ३,४४२.३५        | ४,१८८.८८       |
| <b>महसुली तूट / (शिल्लक)</b>              | <b>४२.७६</b> | <b>८७४.२८</b> | <b>९१७.०४</b> | <b>७५.४४</b>  | <b>१,१०७.४२</b> | <b>१,१८२.८६</b> | <b>(८९.०१)</b> | <b>१४४.५५</b> | <b>५५.५४</b>  | <b>(४७.०६)</b> | <b>४१.७६</b>    | <b>(५.३१)</b>  |
| २०२२ चे प्रकरण क्र. २१२ प्रमाणे मागील तूट | -            | (२०६.६५)      | (२०६.६५)      | -             | (२०६.६५)        | (२०६.६५)        | २७३.४१         | ५५.०२         | ३२८.४४        | २७३.४१         | ५५.०२           | ३२८.४४         |
| आ.व. २०२२-२३ वहन / धारण खर्च              | -            |               |               | -             | -               | -               |                |               |               | ९.९६           | ८.०७            | १८.०३          |
| आ.व. २०२३-२४ वहन / धारण खर्च              | -            |               |               | -             | -               | -               |                |               |               | ८.६२           | (२१.३३)         | (१२.७१)        |
| वाढीव महसुली तूट / (शिल्लक)               |              |               |               | ३२.६९         | २६.४९           | ५९.१८           |                |               |               |                |                 |                |
| बदललेली महसूल गरज                         |              |               |               |               |                 |                 | (१८४.८६)       | (२६.७२)       | (२११.५८)      | (१८४.८६)       | (२६.७२)         | (२११.५८)       |
| <b>एकूण महसुली तूट / (शिल्लक)</b>         | <b>४२.७६</b> | <b>६६७.६३</b> | <b>७१०.३९</b> | <b>१०८.१३</b> | <b>९२७.२६</b>   | <b>१,०३५.३९</b> | <b>(०.४५)</b>  | <b>०.१५</b>   | <b>(०.३१)</b> | <b>४१.४९</b>   | <b>(१०२.६४)</b> | <b>(६१.१५)</b> |

| तपशील                                     | आ.व. २०२४-२५ |          |          |         |          |          |
|---|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|
|   | तार          | पुरवठा   | एकूण     | तार     | पुरवठा   | एकूण     |
|   | मंजूर        |          |          | अंदाजित |          |          |
| वार्षिक महसूल गरज                         | ६९५.७८       | ४,००३.२६ | ४,६९९.०३ | ७७३.९९  | ३,५०९.२४ | ४,२७४.३५ |
| पुढील वर्षात महसूल स्थलांतरित             | २०३.४०       | २९.४०    | २३२.८०   | २०३.४०  | २९.४०    | २३२.८०   |
| महसूल                                     | ९०९.०६       | ३,९२७.९३ | ४,८२८.२० | ८५४.७२  | ३,६२३.९२ | ४,४७८.६३ |
| <b>महसूली तूट / (शिल्लक)</b>              |              |          |          |         |          |          |
| २०२२ चे प्रकरण क्र. २१२ प्रमाणे मागील तूट |              | (१०३.३५) | (१०३.३५) |         | (१०३.३५) | (१०३.३५) |
| <b>वाढीव महसूली तूट / (शिल्लक)</b>        | (१.८८)       | २.९८     | ०.३०     | १२९.७९  | (१९६.६३) | (७४.८४)  |

ब. आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० ब.वि.द. नियंत्रण कालावधीचा तपशील

सारणी ५: ब.वि.द. नियंत्रण कालावधीकरिता बेस्टची एकत्रित एकूण महसूल गरज तपशील (तार व वीजपुरवठा व्यवसाय) (रु. कोटी)

| तपशील   | आ.व. २०२५-२६    | आ.व. २०२६-२७    | आ.व. २०२७-२८    | आ.व. २०२८-२९    | आ.व. २०२९-३०    |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| वीज खरेदी खर्च  | २,८८६.६८        | २,८२२.५०        | २,९२०.४९        | २,९८८.७९        | २,६९६.६२        |
| आंतर-राज्य पारेषण आकार + एमएसएलडीसी आणि एसटीयु शुल्क आणि आकार + InSTS समायोजन तूट | ४७८.९९          | ३६५.३८          | ४९०.७७          | ४४२.८२          | ४६२.५८          |
| संचालन व देखभाल खर्च  | ९२९.६६          | ९,०५८.९८        | ९,९४४.४९        | ९,२३०.०९        | ९,३२९.९५        |
| घसारा   | ९४४.५७          | ९६०.७५          | ९७५.८५          | ९८६.३६          | ९९६.८०          |
| भांडवलावरील व्याज   | -               | -               | ०.०६            | ०.०६            | -               |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज   | ९३.५७           | ९४.७९           | ९५.७९           | ९६.८०           | ९७.८६           |
| ग्राहक सुरक्षा अनामतीवरील व्याज   | ३६.७९           | ३६.७९           | ३६.७९           | ३६.७९           | ३६.७९           |
| बुडीत कर्जासाठी तरतूद   | ६.७३            | ६.७३            | ६.७३            | ६.७३            | ६.७३            |
| आकस्मिक निधीकरिता योगदान  | ८.९७            | ९.९५            | ९०.७६           | ९९.३९           | ९२.००           |
| इतर खर्च  | ४२.३९           | ४२.३६           | ४२.४०           | ४२.४५           | ४२.४९           |
| डीएसएम खर्च   |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>एकूण महसूल खर्च</b>  | <b>४,५४७.४०</b> | <b>४,५९७.३६</b> | <b>४,७६४.९४</b> | <b>४,९६२.२०</b> | <b>४,७९३.०९</b> |
| अधिक: भाग भांडवलावरील परतावा  | ९७२.७७          | ९८९.२०          | ९९२.०२          | २०२.७०          | २९३.२५          |
| अधिक: अंतर्गत निधीवर परतावा   | ५.२८            | ५.२८            | ५.२८            | ५.२८            | ५.२८            |
| <b>एकूण महसूली गरज</b>  | <b>४,७२५.४५</b> | <b>४,७०३.८४</b> | <b>४,९६९.४४</b> | <b>५,९७०.९८</b> | <b>५,०९९.५४</b> |
| वजा: वीजदराच्या व्यतिरिक्त उत्पन्न  | ४६.४४           | ४६.४४           | ४६.४४           | ४६.४४           | ४६.४४           |
| <b>एकूण महसूली गरज</b>  | <b>४,६७९.०९</b> | <b>४,६५७.४०</b> | <b>४,९१५.००</b> | <b>५,९२३.७४</b> | <b>४,९६५.१०</b> |

**सारणी ६: ब.वि.द. नियंत्रण कालावधीकरिता ऊर्जा विक्री**

| ग्राहक प्रवर्ग   | आ.व.<br>२०२५-२६ | आ.व.<br>२०२६-२७ | आ.व.<br>२०२७-२८ | आ.व.<br>२०२८-२९ | आ.व.<br>२०२९-३० | आ.व.<br>२०२५-२६ | आ.व.<br>२०२६-२७ | आ.व.<br>२०२७-२८ | आ.व.<br>२०२८-२९ | आ.व.<br>२०२९-३० |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | द.ल.यु.         |                 |                 |                 |                 | एमकेविएएच       |                 |                 |                 |                 |
| <b>उच्च दाब श्रेणी</b>   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| उच्च दाब - I औद्योगिक  | १७७.३२          | १७७.४२          | १७७.५१          | १७७.५९          | १७७.६६          | १७९.३५          | १७९.४४          | १७९.५४          | १७९.६२          | १७९.६९          |
| उच्च दाब - II वाणिज्य  | २२०.७९          | २२०.९१          | २२१.०३          | २२१.१३          | २२१.२१          | २२४.९२          | २२५.०५          | २२५.१६          | २२५.२६          | २२५.३५          |
| उच्च दाब - III निवासी संकुल  | ३६.२९           | ३६.३१           | ३६.३३           | ३६.३४           | ३६.३६           | ३७.१२           | ३७.१४           | ३७.१६           | ३७.१८           | ३७.१९           |
| उच्च दाब - IV रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल                                       | २.६९            | २.६९            | २.६९            | २.६९            | २.६९            | ३.१४            | ३.१४            | ३.१४            | ३.१४            | ३.१५            |
| उच्च दाब - V (ए) - सार्वजनिक सेवा - सरकारी शैक्षणिक संस्था व इस्पितळे (सरकारी) | ३१.२१           | ३१.२२           | ३१.२४           | ३१.२५           | ३१.२७           | ३१.८१           | ३१.८३           | ३१.८४           | ३१.८६           | ३१.८७           |
| उच्च दाब - V (बी) - सार्वजनिक सेवा - इतर                                       | २०७.८८          | २०७.९९          | २०८.१०          | २०८.२०          | २०८.२८          | २११.५८          | २११.७०          | २११.८१          | २११.९०          | २११.९८          |
| उच्च दाब - VI विद्युत वाहन चार्जिंग  | ४.०१            | ४.९४            | ६.१९            | ७.९७            | १०.३४           | ४.०४            | ४.९९            | ६.२४            | ८.०५            | १०.४३           |
| <b>उप एकूण</b>   | <b>६८०.१८</b>   | <b>६८१.५०</b>   | <b>६८३.०९</b>   | <b>६८५.१८</b>   | <b>६८७.८१</b>   | <b>६९१.९६</b>   | <b>६९३.२९</b>   | <b>६९४.९०</b>   | <b>६९७.०१</b>   | <b>६९९.६६</b>   |
| <b>लघु दाब श्रेणी</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - I (ए) निवासी (दारिद्र्य रेषेखालील)                                   | ०.०४            | ०.०४            | ०.०४            | ०.०४            | ०.०४            |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - I (बी) निवासी  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| ०-१०० एकेके  | ७८४.९८          | ७९०.४८          | ७९५.९५          | ८०१.३५          | ८०६.७०          |                 |                 |                 |                 |                 |
| १०१-३०० एकेके  | ७४७.३३          | ७५२.५७          | ७५७.७७          | ७६२.९२          | ७६८.०१          |                 |                 |                 |                 |                 |
| ३०१-५०० एकेके  | २३८.८०          | २४०.४८          | २४२.१४          | २४३.७९          | २४५.४१          |                 |                 |                 |                 |                 |
| >५०० एकेके   | ४११.४१          | ४१४.३०          | ४१७.१६          | ४२०.००          | ४२२.८०          |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - II (ए) वाणिज्य < २० के डब्ल्यू                                       | ८८२.५८          | ८८८.७६          | ८९४.९१          | ९००.९९          | ९०७.००          |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - II (बी) वाणिज्य > २० व <= ५० के डब्ल्यू                              | १८६.२९          | १८७.६०          | १८८.९०          | १९०.१८          | १९१.४५          |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - II (सी) वाणिज्य > ५० के डब्ल्यू                                      | ३९७.९६          | ४००.७५          | ४०३.५२          | ४०६.२६          | ४०८.९८          |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - III (ए) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूपर्यंत)                               | १०७.८३          | १०८.५८          | १०९.३३          | ११०.०८          | ११०.८१          |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - III (बी) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूच्या वर)                             | ७९.६४           | ८०.२०           | ८०.७६           | ८१.३१           | ८१.८५           |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - IV (ए) सार्वजनिक सेवा - शासकीय इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था          | ६५.०८           | ६५.५३           | ६५.९९           | ६६.४४           | ६६.८८           |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - IV (बी) सार्वजनिक सेवा - इतर   | १८०.६५          | १८१.९१          | १८३.१७          | १८४.४२          | १८५.६५          |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - IV (बी) सार्वजनिक प्रकाश योजना                                       | १६.८०           | १६.९२           | १७.०३           | १७.१५           | १७.२६           |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - V (ए) शेतकीय - पंप संच   | -               | -               | -               | -               | -               |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - V (बी) शेतकीय - इतर  | ०.१६            | ०.१६            | ०.१७            | ०.१७            | ०.१७            |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - VI - विद्युत वाहन चार्जिंग   | ३७.८५           | ४६.७१           | ५८.४७           | ७५.३४           | ९७.६८           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>उप एकूण</b>   | <b>४,१३७.४२</b> | <b>४,१७५.००</b> | <b>४,२१५.३२</b> | <b>४,२६०.४२</b> | <b>४,३१०.६९</b> |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>एकूण</b>  | <b>४,८१७.६०</b> | <b>४,८५६.५०</b> | <b>४,८९८.४१</b> | <b>४,९४५.६०</b> | <b>४,९९८.५०</b> | <b>६९१.९६</b>   | <b>६९३.२९</b>   | <b>६९४.९०</b>   | <b>६९७.०१</b>   | <b>६९९.६६</b>   |

सारणी ७: ब.वि.द. नियंत्रण कालावधीकरिता ऊर्जा खरेदी खर्च

| तपशील                    | टाटा पावर जी | आरई स्रोत (विद्यमान + अभिज्ञात) | आरई स्रोत (प्रस्तावित) | द्विपक्षीय + युआय | एसडब्ल्यूपी जीपीएल | अल्पकालीन (व्यापारी/ विनियम)/ द्विपक्षीय | पारेषण / एसटीयु/ एमएसएलडीसी आकार * | एकूण     |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|--|------------------------------------|----------|
| अंदाजित प्रमाण (द.ल.यु.) | आ.व. २०२५-२६ | ३,३६९.३२                        | ९३३.९५                 |                   |                    | ९८४.३६ (८५.५९)                           |                                    | ५,९९४.९९ |
|                          | आ.व. २०२६-२७ | ३,००६.२९                        | ९,३०९.६५               |                   |                    | ९५०.२९ (२३.४५)                           |                                    | ५,२३४.७० |
|                          | आ.व. २०२७-२८ | ३,०६६.२८                        | ९,३०५.२२               |                   |                    | ९६७.८० (६०.८९)                           |                                    | ५,२७८.४९ |
|                          | आ.व. २०२८-२९ | ३,०६९.९८                        | ९,३०९.६५               |                   |                    | ९७९.९५ (९५.३७)                           |                                    | ५,३२९.४९ |
|                          | आ.व. २०२९-३० | २,९६५.३६                        | ९,३०९.६५               | ९९९.९४            |                    | ९,०९५.००                                 | ६९९.४०                             | ५,३८९.३५ |
| अंदाजित खर्च (रु. कोटी)  | आ.व. २०२५-२६ | २,०९९.९८                        | २५३.५४                 |                   |                    | ५४७.३९ (९३.३४)                           | ४७८.९९                             | ३,३६४.७९ |
|                          | आ.व. २०२६-२७ | ९,९४४.९९                        | ३५३.९९                 |                   |                    | ५२८.३६ (३.२४)                            | ३६५.३८                             | ३,९८७.८८ |
|                          | आ.व. २०२७-२८ | २,०३७.६३                        | ३५४.९५                 |                   |                    | ५३८.९० (९.३९)                            | ४९०.७७                             | ३,३३९.२६ |
|                          | आ.व. २०२८-२९ | २,०९३.०७                        | ३५३.९९                 |                   |                    | ५४४.४९ (९.८७)                            | ४४२.८२                             | ३,४३९.६९ |
|                          | आ.व. २०२९-३० | ९,३०५.०६                        | ३५३.९९                 | ९२९.९६            |                    | ६०८.८२                                   | २९९.५९                             | ३,९५९.९९ |
| अंदाजित दर (रु. कोटी)    | आ.व. २०२५-२६ | ६.२५                            | २.७९                   |                   |                    | ५.५६                                     | ९.५६                               | ६.४८     |
|                          | आ.व. २०२६-२७ | ६.४७                            | २.७९                   |                   |                    | ५.५६                                     | ९.३८                               | ६.०९     |
|                          | आ.व. २०२७-२८ | ६.६५                            | २.७९                   |                   |                    | ५.५६                                     | ९.५४                               | ६.३९     |
|                          | आ.व. २०२८-२९ | ६.८४                            | २.७९                   |                   |                    | ५.५६                                     | ९.२२                               | ६.४४     |
|                          | आ.व. २०२९-३० | ६.०३                            | २.७९                   | ६.५०              |                    | ५.५६                                     | ४.८४                               | ५.८७     |

\* - आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत पारेषण आकार, एसटीयु आकार आणि एसएलडीसी आकार आणि एसटीयु समायोजन तूट समाविष्ट

सारणी ८: ब.वि.द. नियंत्रण कालावधीकरिता एकूण महसुली तूट / (शिल्लक) (रु./कोटी)

| तपशील                      | आ.व. २०२५-२६ |          |          | आ.व. २०२६-२७ |          |          | आ.व. २०२७-२८ |          |          | आ.व. २०२८-२९ |          |          | आ.व. २०२९-३० |          |          |
|----------------------------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
|                            | तार          | पुरवठा   | एकूण     | तार          | पुरवठा   | एकूण     | तार          | पुरवठा   | एकूण     | तार          | पुरवठा   | एकूण     | तार          | पुरवठा   | एकूण     |
| वार्षिक महसुली गरज         | ८५३.२६       | ३,८२५.७५ | ४,६७९.०९ | ९५५.९९       | ३,७०२.२८ | ४,६५८.२७ | ९,०५५.६७     | ३,८५९.३३ | ४,९९५.०० | ९,९५०.९०     | ३,९७३.६४ | ५,९२३.७४ | ९,२४९.२९     | ३,७९५.८९ | ४,९६५.९० |
| मागील तूट *                | २२.५३        | (३०७.५५) | (२८५.०२) | ३९.४८        | (९६.३३)  | (६४.८६)  | ३९.३८        | (९०३.०२) | (६३.६५)  | ८२.०३        | (८९.७९)  | (७.६८)   | ९९४.५३       | ३५३.९०   | ४६७.६३   |
| एकूण वार्षिक महसुली गरज    | ८७५.७९       | ३,५१८.२० | ४,३९३.९९ | ९९५.४७       | ३,६०५.९५ | ४,५९३.४१ | ९,०९५.०४     | ३,७९६.३९ | ४,९३१.३५ | ९,९३२.९३     | ३,८८३.९३ | ५,९१६.०५ | ९,३६३.८२     | ४,०६८.९० | ५,४३३.७३ |
| प्रचलित वीज दरापासून महसूल | ८६७.६६       | ३,६३९.४० | ४,५०७.०६ | ८७५.९७       | ३,६५६.५३ | ४,५३९.६९ | ८८३.२३       | ३,६८३.३५ | ४,५६६.५८ | ८९२.२७       | ३,७९३.९५ | ४,६०५.४२ | ९०२.३८       | ३,७४६.९६ | ४,६४८.५४ |
| महसुली तूट / (शिल्लक)      | ८.९३         | (९९३.२०) | (९०५.०७) | ९९९.४२       | (५०.५८)  | ६०.८४    | २९९.८९       | ७२.९६    | २८४.७७   | ३३९.८५       | ९७०.७८   | ५९०.६३   | ४६९.४४       | ३२२.७५   | ७८४.९९   |

\* लागू असलेला वहन खर्च / (धारण खर्च) सहित आ.व. २०२२-२३, आ.व. २०२३-२४ आणि आ.व. २०२४-२५ मधील तूट / (शिल्लक) समाविष्ट.

सारणी ९: महसुली वसुली (रु./कोटी) आणि सरासरी टक्केवारीत वाढ / घट (%)

| तपशील   | आ.व.<br>२०२५-२६ | आ.व.<br>२०२६-२७ | आ.व.<br>२०२७-२८ | आ.व.<br>२०२८-२९ | आ.व.<br>२०२९-३० |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| विद्यमान दरानुसार किरकोळ पुरवठा व्यवसायाचा महसूल                              | ३,६३९.४०        | ३,६५६.५३        | ३,६८३.३५        | ३,७९३.९५        | ३,७४६.९६        |
| प्रस्तावित दरानुसार किरकोळ पुरवठा व्यवसायाचा महसूल                            | ३,५९८.२०        | ३,६०५.९५        | ३,७५६.३९        | ३,८८३.९३        | ४,०६८.९०        |
| विक्री (द.ल.यु.)  | ४,८९७.६०        | ४,८५६.५०        | ४,८९८.४९        | ४,९४५.६०        | ४,९९८.५०        |
| किरकोळ पुरवठ्याचा खर्च (RCoS) (रु./केडब्ल्यूएच)                               | ७.३०            | ७.४३            | ७.६७            | ७.८५            | ८.९४            |
| % मागील वर्षापेक्षा टक्केवारीत वाढ *  | -८.९%           | ९.७%            | ३.३%            | २.४%            | ३.७%            |
| किरकोळ पुरवठ्याचा खर्च (ACoS) (रु./केडब्ल्यूएच) (एकत्रित तार + किरकोळ पुरवठा) | ९.९२            | ९.४६            | ९.९०            | १०.३४           | १०.८७           |
| % मागील वर्षापेक्षा टक्केवारीत वाढ \$   | -५.९%           | ३.७%            | ४.७%            | ४.४%            | ५.९%            |

\* - २०२२ च्या प्रकरण क्रमांक २९२ मधील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी मंजूर किरकोळ पुरवठा, वार्षिक महसुली गरज आणि विक्री यांना विचारात घेऊन आर्थिक २०२४-२५ साठी आरसीओएस (RCoS) @ रु. ७.९५ प्रति केडब्ल्यूएच वरून % वाढ काढली आहे.

\$ - २०२२ च्या प्रकरण क्रमांक २९२ मधील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी मंजूर किरकोळ पुरवठ्याचा खर्च (ACoS) (रु./केडब्ल्यूएच) (एकत्रित तार + किरकोळ पुरवठा) @ रु. ९.६९ प्रति प्रति केडब्ल्यूएच वरून % वाढ काढली आहे.

क. कार्यकारी मानके

सारणी १०: आ.व. २०२२-२३ ते आ.व. २०२९-३० साठी कार्यकारी मानके

| तपशील                      | आ.व. २०२२-२३ |          | आ.व. २०२३-२४ |          | आ.व. २०२४-२५ |         | आ.व.<br>२०२५-<br>२६ | आ.व.<br>२०२६-<br>२७ | आ.व.<br>२०२७-<br>२८ | आ.व.<br>२०२८-<br>२९ | आ.व.<br>२०२९-<br>३० |
|----------------------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                            | मंजूर        | वास्तविक | मंजूर        | वास्तविक | मंजूर        | अंदाजित | प्रस्तावित          |                     |                     |                     |                     |
| वितरण हानी (%)             | ४.९८%        | ४.९८%    | ४.९८%        | ४.९२%    | ४.९८%        | ४.९८%   | ४.९८%               | ४.९८%               | ४.९८%               | ४.९८%               | ४.९८%               |
| संकलन कार्यक्षमता (%)      |              | १००.४६%  |              | १००.४६%  |              | १००%    | १००%                | १००%                | १००%                | १००%                | १००%                |
| प्रदान कार्यक्षमता (%)     |              | १००%     |              | १००%     |              | १००%    | १००%                | १००%                | १००%                | १००%                | १००%                |
| एटी व सी (AT & C) हानी (%) |              | ३.७४%    |              | ३.६८%    |              | ४.९८%   | ४.९८%               | ४.९८%               | ४.९८%               | ४.९८%               | ४.९८%               |
| सैफी (SAIDI)               |              | ६७.७९    |              | ६९.९७    |              | ६६.८६   | ६६.८६               | ६६.८६               | ६६.८६               | ६६.८६               | ६६.८६               |
| सैफी (SAIFI)               |              | २.३२     |              | २.९७     |              | २.५५    | २.५५                | २.५५                | २.५५                | २.५५                | २.५५                |

ड. भांडवलीकरण

सारणी ११: आ.व. २०२२-२३ ते आ.व. २०२९-३० साठी भांडवलीकरण (रु./कोटी)

| तपशील          | आ.व. २०२२-२३ |          | आ.व. २०२३-२४ |          | आ.व. २०२४-२५ |         | आ.व.<br>२०२५-<br>२६ | आ.व.<br>२०२६-<br>२७ | आ.व.<br>२०२७-<br>२८ | आ.व.<br>२०२८-<br>२९ | आ.व.<br>२०२९-<br>३० |
|----------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                | मंजूर        | वास्तविक | मंजूर        | वास्तविक | मंजूर        | अंदाजित | प्रस्तावित          |                     |                     |                     |                     |
| तार व्यवसाय    |              |          |              |          |              |         |                     |                     |                     |                     |                     |
| डीपीआर         | ११९.९२       | १२९.७५   | २०७.३९       | १०९.६८   | १९०.०४       | २७२.३९  | ३४५.५०              | २९५.४३              | २२९.७०              | २२५.००              | २२५.००              |
| नॉन-डीपीआर     | २०.६७        | ४३.०९    | २९.००        | १९.०३    | २९.००        | १५.५३   | १७.०२               | २२.८७               | २९.९०               | १९.६२५              | २२.००               |
| डीपीआरची %     | ९८%          | ३५%      | ९०%          | ९७%      | ९९%          | ६%      | ५%                  | ८%                  | ९%                  | ९%                  | ९०%                 |
| पुरवठा व्यवसाय |              |          |              |          |              |         |                     |                     |                     |                     |                     |
| डीपीआर         |              | ०.००     | ७.७०         | ०.०९     | ७.७०         | १०.००   | ३०.००               | ६.०२                |                     |                     |                     |



|               |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| नॉन-डीपीआर    |        | १५.६५  | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - |
| डीपीआरची %    |        | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | - |
| वितरण व्यवसाय |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |
| डीपीआर        | १११.९२ | १२१.७५ | २१५.०१ | १०९.६९ | ११७.७४ | २८२.३९ | ३७५.५० | ३०१.४५ | २२९.७० | २२५.०० | २२५.०० |   |
| नॉन-डीपीआर    | २०.६७  | ५८.७४  | २१.००  | १९.०३  | २१.००  | १५.५३  | १७.०२  | २२.८७  | २१.१०  | १९.६२५ | २२.००  |   |
| डीपीआरची %    | १८%    | ४८%    | १०%    | १७%    | ११%    | ५%     | ५%     | ८%     | ९%     | ९%     | १०%    |   |

#### ५. वीजदर विचार प्रणाली (Tariff Philosophy)

अ. मिश्र अनुदान : नियंत्रण कालावधीतील प्रस्तावित मिश्र अनुदान (क्रॉस सबसिडी) चा मार्ग खालील तक्त्यात दिला आहे.

#### सारणी १२: पाचव्या नियंत्रण कालावधीकरिता प्रस्तावित मिश्र अनुदान (क्रॉस सबसिडी) मार्गक्रमण (Trajectory)

| ग्राहक प्रवर्ग  | आ.व.<br>२०२४-२५                                | आ.व.<br>२०२४-२५                                | आ.व.<br>२०२५-२६                | आ.व.<br>२०२६-२७                | आ.व.<br>२०२७-२८                | आ.व.<br>२०२८-२९                | आ.व.<br>२०२९-३०                |
|---|--|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   | एमटीआर<br>ऑर्डरमध्ये<br>मंजूर (w.r.t.<br>ACoS) | एमटीआर<br>ऑर्डरमध्ये<br>मंजूर (w.r.t.<br>RCoS) | प्रक्षेपित<br>(w.r.t.<br>RCoS) | प्रक्षेपित<br>(w.r.t.<br>RCoS) | प्रक्षेपित<br>(w.r.t.<br>RCoS) | प्रक्षेपित<br>(w.r.t.<br>RCoS) | प्रक्षेपित<br>(w.r.t.<br>RCoS) |
| <b>उच्च दाब श्रेणी</b>  |  |  |                                |                                |                                |                                |                                |
| उच्च दाब - I औद्योगिक   | १००%   | ११५%   | १०४%                           | १०३%                           | १०४%                           | १०५%                           | १०४%                           |
| उच्च दाब - II वाणिज्य   | ११२%   | १२९%   | ११७%                           | ११८%                           | ११९%                           | १२०%                           | १२०%                           |
| उच्च दाब - III निवासी संकुल   | १०१%   | ११५%   | १०४%                           | १०२%                           | १०३%                           | १०३%                           | १०४%                           |
| उच्च दाब - IV रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल  | १२०%   | १३९%   | १३३%                           | १३३%                           | १३३%                           | १३५%                           | १३७%                           |
| उच्च दाब - V (ए) - सार्वजनिक सेवा - सरकारी<br>शैक्षणिक संस्था व इस्पितळे (सरकारी) | १००%   | ११४%   | १०२%                           | ९९%                            | १०६%                           | १०७%                           | १०७%                           |
| उच्च दाब - V (बी) - सार्वजनिक सेवा - इतर  | ११०%   | १२७%   | १०६%                           | १०४%                           | १०४%                           | १०४%                           | १०५%                           |
| उच्च दाब - VI विद्युत वाहन चार्जिंग   | -  | -  | १२०%                           | १०९%                           | १०३%                           | १००%                           | १०१%                           |
| <b>लघु दाब श्रेणी</b>   |  |  |                                |                                |                                |                                |                                |
| लघु दाब - I (ए) निवासी दारिद्र्य रेषेखालील  | ३९%  | २३%  | २८%                            | २९%                            | ३०%                            | २९%                            | २९%                            |
| लघु दाब - I (बी) निवासी   | -  | ८२%  | ११५%                           | ११४%                           | ११६%                           | ११८%                           | १२०%                           |
| लघु दाब - II (ए) वाणिज्य < २० के डब्ल्यू.   | १०९%   | १११%   | ११५%                           | ११८%                           | ११८%                           | ११९%                           | ११८%                           |
| लघु दाब - II (बी) वाणिज्य > २० व <= ५० के डब्ल्यू.                                | १२४%   | १२८%   | ११५%                           | १२०%                           | ११८%                           | ११७%                           | ११७%                           |
| लघु दाब - II (सी) वाणिज्य > ५० के डब्ल्यू.  | १२७%   | १५३%   | १०६%                           | ११२%                           | ११३%                           | ११८%                           | १२०%                           |
| लघु दाब - III (ए) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूपर्यंत)                                  | ९५%  | १११%   | १००%                           | १०२%                           | १०२%                           | १००%                           | १०२%                           |
| लघु दाब - III (बी) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूच्या वर)                                | ११७%   | १२८%   | १०९%                           | १११%                           | १०९%                           | १०७%                           | १०५%                           |
| लघु दाब - IV (ए) सार्वजनिक सेवा - शासकीय<br>इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था          | ९६%  | १३२%   | १००%                           | १०२%                           | १०२%                           | १०२%                           | ९९%                            |
| लघु दाब - IV (बी) सार्वजनिक सेवा - इतर  | ९७%  | ९३%  | १०१%                           | १०६%                           | १०६%                           | १०६%                           | १०४%                           |
| लघु दाब - V (ए) शेतकीय - पंप संच  | -  | ९५%  | -                              | -                              | -                              | -                              | -                              |
| लघु दाब - V (बी) शेतकीय - इतर   | -  | ७१%  | ७९%                            | ८३%                            | ८०%                            | ७८%                            | ७२%                            |
| लघु दाब - VI - विद्युत वाहन चार्जिंग  | ८३%  | ७८%  | १००%                           | १००%                           | १००%                           | १००%                           | १००%                           |

ब. केव्हिएएच बिलिंग आणि वीज दर: बेस्टने आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० पर्यंत सर्व उच्च दाब प्रवर्गासाठी केव्हिएएच बिलिंग प्रस्तावित केले आहे.

क. व्हिलिंग (वहन) आकार:

सारणी १३: पाचव्या ब.वि.द. नियंत्रण कालावधीकरिता प्रस्तावित व्हिलिंग आकार

| ग्राहक प्रवर्ग                       | आ.व. २०२५-२६ | आ.व. २०२६-२७ | आ.व. २०२७-२८ | आ.व. २०२८-२९ | आ.व. २०२९-३० |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| उच्च दाब प्रवर्ग<br>(रु./केव्हिएएच)  | ०.९४         | १.०५         | १.१५         | १.२८         | १.४१         |
| लघु दाब प्रवर्ग<br>(रु./केडब्ल्यूएच) | १.९६         | २.१९         | २.४१         | २.६८         | २.९४         |

ड. दिवसाच्या भागाचे वीजदर (ToD Tariff): ब.वि.द याचिकेत स्पष्ट केलेल्या कारणांमुळे, बेस्टने आयोगाला ब.वि.द. आदेशात बेस्टसाठी विद्यमान दिवसाच्या भागाच्या वीजदराची (ToD Tariff) चौकट कायम ठेवण्याची आणि सुधारित दिवसाच्या भागाच्या वीज दराची (ToD Tariff) अंमलबजावणी पुढील नियंत्रण कालावधी/मध्यावधी आढावा याचिकेपर्यंत पुढे ढकलण्याची विनंती केली आहे.

इ. हरित ऊर्जा दर: बेस्टने आयोगाला ०.६६ रु./केडब्ल्यूएच प्रमाणे विद्यमान हरित ऊर्जा शुल्क सुरु ठेवण्याची विनंती केली आहे.

६. वीजदर प्रस्ताव: नियंत्रण कालावधीसाठी, बेस्टने प्रत्येक ग्राहक श्रेणीसाठी ACoS = ABR या तत्वावर आधारित प्रवर्गवार दर प्रस्तावित केले आहेत. व्हिलिंग शुल्क संपूर्ण तार वार्षिक महसुली गरज वसूल करण्यासाठी डिझाइन केलेले असल्याने, मागणी शुल्क आणि ऊर्जा शुल्क अशा प्रकारे प्रस्तावित केले गेले आहे की पुरवठा व्यवसायाचा सरासरी बिलिंग दर RCoS च्या बरोबरीचा असेल.

७. नियंत्रण कालावधीकरिता प्रस्तावित प्रवर्गवार वीजदर

सारणी १४: आ.व. २०२५-२६ ते आ.व. २०२९-३० साठी प्रस्तावित स्थिर / मागणी आकार

| ग्राहक प्रवर्ग   | स्थिर आकार (रु. प्रति महिना प्रति जोडणी) |                 |                 |                 |                 | मागणी आकार (रु. प्रति महिना प्रति kVA) |                 |                 |                 |                 |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | आ.व.<br>२०२५-२६                          | आ.व.<br>२०२६-२७ | आ.व.<br>२०२७-२८ | आ.व.<br>२०२८-२९ | आ.व.<br>२०२९-३० | आ.व.<br>२०२५-२६                        | आ.व.<br>२०२६-२७ | आ.व.<br>२०२७-२८ | आ.व.<br>२०२८-२९ | आ.व.<br>२०२९-३० |
| <b>उच्च दाब श्रेणी</b>   |  |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |
| उच्च दाब - I औद्योगिक  | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| उच्च दाब - II वाणिज्य  | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| उच्च दाब - III निवासी संकुल  | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| उच्च दाब - IV रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल                                       | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| उच्च दाब - V (ए) - सार्वजनिक सेवा - सरकारी शैक्षणिक संस्था व इस्पितळे (सरकारी) | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| उच्च दाब - V (बी) - सार्वजनिक सेवा - इतर                                       | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| उच्च दाब - VI विद्युत वाहन चार्जिंग  |  |                 |                 |                 |                 | ९०                                     | ९०              | १००             | १००             | १००             |
| <b>लघु दाब श्रेणी</b>  |  |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - I (ए) निवासी दारिद्र्य रेषेखालील                                     | १५                                       | १५              | १५              | १५              | १५              | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| <b>लघु दाब - I (बी) निवासी</b>   |  |                 |                 |                 |                 |  |                 |                 |                 |                 |
| ०-१०० एकके   | ११०                                      | १२०             | १३०             | १४०             | १५०             | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| १०१-३०० एकके   | १६०                                      | १७०             | १८०             | १९०             | २००             | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| ३०१-५०० एकके   | १७०                                      | १८०             | १९०             | २००             | २१०             | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| >५०० एकके  | १९०                                      | २००             | २१०             | २२०             | २३०             | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| लघु दाब - II (ए) वाणिज्य < २० के डब्ल्यू                                       | ५४०                                      | ५७५             | ६००             | ६२५             | ६५०             | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| लघु दाब - II (बी) वाणिज्य >२० व <=५० के डब्ल्यू                                | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| लघु दाब - II (सी) वाणिज्य >५० के डब्ल्यू                                       | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| लघु दाब - III (ए) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूपर्यंत)                               | ५४०                                      | ५७५             | ६००             | ६२५             | ६५०             | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| लघु दाब - III (बी) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूच्या वर)                             | -  | -               | -               | -               | -               | ४५०                                    | ४७५             | ५००             | ५२५             | ५५०             |
| लघु दाब - IV (ए) सार्वजनिक सेवा - शासकीय इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था          | ५४०                                      | ५७५             | ६००             | ६२५             | ६५०             | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| लघु दाब - IV (बी) सार्वजनिक सेवा - इतर   | ५४०                                      | ५७५             | ६००             | ६२५             | ६५०             | -                                      | -               | -               | -               | -               |
| लघु दाब - V (ए) शेतकीय - पंप संच   | -  | -               | -               | -               | -               | ५०                                     | ६०              | ७०              | ७०              | ७०              |
| लघु दाब - V (बी) शेतकीय - इतर  | -  | -               | -               | -               | -               | ११०                                    | १२०             | १२०             | १२०             | १२०             |
| लघु दाब - VI - विद्युत वाहन चार्जिंग   | -  | -               | -               | -               | -               | ९०                                     | ९०              | १००             | १००             | १००             |

**सारणी १५: पाचव्या नियंत्रण कालावधीकरिता प्रस्तावित ऊर्जा आकार  
(रु./केव्हीएच किंवा रु./केडब्ल्यूएच)**

| ग्राहक प्रवर्ग   | आ.व.<br>२०२५-२६ | आ.व.<br>२०२६-२७ | आ.व.<br>२०२७-२८ | आ.व.<br>२०२८-२९ | आ.व.<br>२०२९-३० |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>उच्च दाब श्रेणी (रु./केव्हीएच)</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| उच्च दाब - I औद्योगिक  | ६.०५            | ६.०५            | ६.२५            | ६.५०            | ६.६५            |
| उच्च दाब - II वाणिज्य  | ६.३०            | ६.४०            | ६.६५            | ६.८५            | ७.०५            |
| उच्च दाब - III निवासी संकुल  | ६.३५            | ६.२५            | ६.५५            | ६.७०            | ७.००            |
| उच्च दाब - IV रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल                                       | ४.९०            | ४.८०            | ४.९०            | ५.०५            | ५.३५            |
| उच्च दाब - V (ए) - सार्वजनिक सेवा - सरकारी शैक्षणिक संस्था व इस्पितळे (सरकारी) | ६.२०            | ६.१०            | ६.८०            | ६.९५            | ७.२५            |
| उच्च दाब - V (बी) - सार्वजनिक सेवा - (इतर)                                     | ६.२०            | ६.१०            | ६.३०            | ६.४०            | ६.७०            |
| उच्च दाब - VI विद्युत वाहन चार्जिंग  | ५.६०            | ५.५०            | ५.६०            | ६.०५            | ६.८५            |
| <b>लघु दाब श्रेणी (रु./केडब्ल्यूएच)</b>  |                 |                 |                 |                 |                 |
| लघु दाब - I (ए) निवासी दारिद्र्य रेषेखालील                                     | १.८०            | १.९५            | २.०५            | २.०५            | २.१५            |
| लघु दाब - I (बी) निवासी  |                 |                 |                 |                 |                 |
| ०-१०० एकके   | २.००            | २.०५            | २.२०            | २.२०            | २.३०            |
| १०१-३०० एकके   | ५.५५            | ५.६०            | ५.७५            | ५.७५            | ६.०५            |
| ३०१-५०० एकके   | ९.४५            | ८.६५            | ८.८५            | ८.८५            | ९.१०            |
| >५०० एकके  | ११.५५           | १०.७५           | १०.९५           | ११.१५           | ११.३५           |
| लघु दाब - II (ए) वाणिज्य < २० के डब्ल्यू.                                      | ६.४०            | ६.७०            | ६.९०            | ७.०५            | ७.२५            |
| लघु दाब - II (बी) वाणिज्य >२० व <=५० के डब्ल्यू.                               | ५.४५            | ५.८५            | ५.८५            | ५.८५            | ६.०५            |
| लघु दाब - II (सी) वाणिज्य >५० के डब्ल्यू.                                      | ५.१०            | ५.६०            | ५.८०            | ६.३०            | ६.७०            |
| लघु दाब - III (ए) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूपर्यंत)                               | ६.६०            | ६.८५            | ७.०५            | ७.१०            | ७.५०            |
| लघु दाब - III (बी) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूच्या वर)                             | ६.००            | ६.२५            | ६.२५            | ६.२५            | ६.२५            |
| लघु दाब - IV (ए) सार्वजनिक सेवा - शासकीय इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था          | ७.२०            | ७.४५            | ७.६५            | ७.८५            | ७.९५            |
| लघु दाब - IV (बी) सार्वजनिक सेवा - इतर   | ७.०५            | ७.५५            | ७.८०            | ८.००            | ८.१०            |
| लघु दाब - V (ए) शेतकीय - पंप संच   | २.७५            | ३.१०            | ३.१०            | ३.१०            | २.८०            |
| लघु दाब - V (बी) शेतकीय - इतर  | ५.५०            | ५.८५            | ५.८५            | ५.८५            | ५.५५            |
| लघु दाब - VI - विद्युत वाहन चार्जिंग   | ७.३०            | ७.५०            | ७.७५            | ८.००            | ८.३०            |

सारणी १६: पाचव्या ब.वि.द. नियंत्रण कालावधीकरिता संवर्गवार वीजदरात वाढ

| ग्राहक प्रवर्ग   | सरासरी वीज दर<br>(उ.दा. साठी रु / केव्हीएच) आणि<br>(ल.दा. साठी रु / के डब्ल्यू एच) |                     |                     |                     |                     |                     | मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढ<br>% |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | आ.व.<br>२४-२५<br>(चालू)  | आ.व.<br>२०२५-<br>२६ | आ.व.<br>२०२६-<br>२७ | आ.व.<br>२०२७-<br>२८ | आ.व.<br>२०२८-<br>२९ | आ.व.<br>२०२९-<br>३० | आ.व.<br>२४-२५<br>(चालू)         | आ.व.<br>२०२५-<br>२६ | आ.व.<br>२०२६-<br>२७ | आ.व.<br>२०२७-<br>२८ | आ.व.<br>२०२८-<br>२९ | आ.व.<br>२०२९-<br>३० |
| <b>उच्च दाब श्रेणी</b>   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| उच्च दाब - I औद्योगिक  | ९.५७   | ८.५६                | ८.६४                | ९.०१                | ९.४६                | ९.८१                |                                 | -११%                | १%                  | ४%                  | ५%                  | ४%                  |
| उच्च दाब - II वाणिज्य  | १०.७२  | ९.५२                | ९.६६                | १०.११               | १०.५४               | १०.९७               |                                 | -११%                | १%                  | ५%                  | ४%                  | ४%                  |
| उच्च दाब - III निवासी संकुल  | ८.६८   | ८.५५                | ८.४२                | ८.८८                | ९.२१                | ९.७०                |                                 | -१%                 | -२%                 | ५%                  | ४%                  | ५%                  |
| उच्च दाब - IV रेल्वे, मेट्रो आणि मोनोरेल                                       | ११.०९  | १०.८३               | ९.४७                | ९.८६                | १०.३३               | १०.९५               |                                 | -२%                 | -१३%                | ४%                  | ५%                  | ६%                  |
| उच्च दाब - V (ए) - सार्वजनिक सेवा - सरकारी शैक्षणिक संस्था व इस्पितळे (सरकारी) | ९.१७   | ८.३८                | ८.३०                | ९.१६                | ९.४९                | ९.९८                |                                 | -९%                 | -१%                 | १०%                 | ४%                  | ५%                  |
| उच्च दाब - V (बी) - सार्वजनिक सेवा - (इतर)                                     | १०.२८  | ८.७०                | ८.६४                | ९.०१                | ९.३२                | ९.८३                |                                 | -१५%                | -१%                 | ४%                  | ३%                  | ५%                  |
| उच्च दाब - VI विद्युत वाहन चार्जिंग  | ९.८८   | ९.७०                | ९.०५                | ८.९७                | ९.०६                | ९.६०                |                                 | -२%                 | -७%                 | -१%                 | १%                  | ६%                  |
| <b>लघु दाब श्रेणी</b>  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| लघु दाब - I (ए) निवासी दारिद्र्य रेषेखालील                                     | ३.६५   | ३.९८                | ४.३६                | ४.६८                | ४.९४                | ५.३०                |                                 | ९%                  | १०%                 | ७%                  | ६%                  | ७%                  |
| लघु दाब - I (बी) निवासी  | ८.३३   | ८.४३                | ८.५०                | ८.९२                | ९.२७                | ९.७८                |                                 | १%                  | १%                  | ५%                  | ४%                  | ६%                  |
| लघु दाब - II (ए) वाणिज्य < २० के डब्ल्यू                                       | १०.७१  | १०.३३               | १०.९९               | ११.४९               | १२.००               | १२.५५               |                                 | -४%                 | ६%                  | ५%                  | ४%                  | ५%                  |
| लघु दाब - II (बी) वाणिज्य > २० व <= ५० के डब्ल्यू                              | १०.६६  | १०.३६               | ११.१३               | ११.४८               | ११.८८               | १२.४७               |                                 | -३%                 | ७%                  | ३%                  | ३%                  | ५%                  |
| लघु दाब - II (सी) वाणिज्य > ५० के डब्ल्यू                                      | ९.७०   | ९.६७                | १०.५२               | ११.०५               | ११.९४               | १२.७२               |                                 | ०%                  | ९%                  | ५%                  | ८%                  | ७%                  |
| लघु दाब - III (ए) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूपर्यंत)                               | ९.१८   | ९.२५                | ९.७६                | १०.२०               | १०.५४               | ११.२१               |                                 | १%                  | ६%                  | ५%                  | ३%                  | ६%                  |
| लघु दाब - III (बी) औद्योगिक (२० के डब्ल्यूच्या वर)                             | १०.३८  | ९.८९                | १०.४६               | १०.७६               | ११.१२               | ११.४६               |                                 | -५%                 | ६%                  | ३%                  | ३%                  | ३%                  |
| लघु दाब - IV (ए) सार्वजनिक सेवा - शासकीय इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था          | ९.२४   | ९.२९                | ९.७८                | १०.२०               | १०.६७               | ११.०४               |                                 | १%                  | ५%                  | ४%                  | ५%                  | ३%                  |
| लघु दाब - IV (बी) सार्वजनिक सेवा - इतर   | ९.५०   | ९.३२                | १०.०६               | १०.५४               | ११.०२               | ११.३९               |                                 | -२%                 | ८%                  | ५%                  | ५%                  | ३%                  |
| लघु दाब - V (ए) शेतकीय - पंप संच   | -  | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   |
| लघु दाब - V (बी) शेतकीय - इतर  | ६.९८   | ७.७३                | ८.३३                | ८.५५                | ८.८२                | ८.७८                |                                 | ११%                 | ८%                  | ३%                  | ३%                  | ०%                  |
| लघु दाब - VI - विद्युत वाहन चार्जिंग   | ७.८६   | ९.२५                | ९.६२                | १०.०७               | १०.५४               | ११.०६               |                                 | १८%                 | ४%                  | ५%                  | ५%                  | ५%                  |

८. बेस्टने याचिकेत वर्णन केल्याप्रमाणे आकारणी अनुसूचीमध्ये (Schedule of Charges) सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. शिवाय, बेस्टने आयोगाला टीपीसी-डी आणि बेस्टमधील आकारणी अनुसूचीमध्ये (Schedule of Charges) एकरूपता राखण्याची विनंती केली आहे.

९. टाटा पॉवर-जी आणि बेस्टमधील वीज खरेदी कराराचा कालावधी ३१ मार्च २०२९ पर्यंत आहे.

१०. ब.वि.द. याचिकेचा संपूर्ण दस्तऐवज आणि कार्यकारी सारांश बेस्टच्या [www.bestundertaking.com](http://www.bestundertaking.com) या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत आणि कार्यकारी सारांश आयोगाच्या वेबसाईट [www.merc.gov.in](http://www.merc.gov.in) वर देखील डाउनलोड करण्यायोग्य स्वरूपात (विनामूल्य) उपलब्ध आहे.

११. बेस्टच्या कार्यालयात लेखी विनंती केल्यास खालील कागदपत्रांच्या प्रती मिळू शकतात.

अ. याचिकेचा कार्यकारी सारांश (विनामूल्य, मराठी किंवा इंग्रजी मध्ये).

ब. मुंबई येथे देय असलेल्या 'बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम' च्या नावे काढलेल्या (रोख/डीडी/चेकद्वारे १५०/- रुपये भरल्यानंतर) तपशील वार याचिका कागदपत्रे (सीडी सह इंग्रजीमध्ये)

क. सविस्तर याचिका कागदपत्रे (इंग्रजीमध्ये) (१००/- रुपये भरल्यानंतर)

ड. सविस्तर याचिका कागदपत्रांची सीडी (इंग्रजीमध्ये) (५०/- रुपये भरल्यानंतर)

| कार्यालय           | पत्ता   | दुरध्वनी क्र.   | इमेल आयडी  |
|--------------------|---|---|--|
| नोंदणीकृत कार्यालय | बेस्ट उपक्रम, बेस्ट भवन, बेस्ट मार्ग, कुलाबा, मुंबई - ४००००९.   | २२८५६२६२<br>विस्तारित क्र. ३१४,<br>फॅक्स क्र. ०२२<br>२२८५१२४४ | <a href="mailto:dcemerc@bestundertaking.com">dcemerc@bestundertaking.com</a>       |
| मुख्य कार्यालय     | जनता संपर्क अधिकारी, बेस्ट उपक्रम, बेस्ट भवन, बेस्ट मार्ग, कुलाबा, मुंबई - ४००००९.  | २२७९९३९५<br>फॅक्स क्र. ०२२<br>२२८५१२४४                        | <a href="mailto:probestundertaking@gmail.com">probestundertaking@gmail.com</a>     |
| विभागीय कार्यालय १ | बेस्ट उपक्रम, ग्राहक सेवा (अ-प्रभाग), पहिला मजला, इलेक्ट्रिक हाऊस मार्ग, कुलाबा, मुंबई - ४००००९.                                    | २२७९९४०६  | <a href="mailto:deccaward@bestundertaking.com">deccaward@bestundertaking.com</a>   |
| विभागीय कार्यालय २ | बेस्ट उपक्रम, ग्राहक सेवा (जी/दक्षिण-प्रभाग), दुसरा मजला, परिवहन अभियांत्रिकी इमारत, द्वार क्र. ३, टिळक मार्ग, दादर, मुंबई - ४०००१४ | २४१९०७०३<br>२४१४६२६२<br>विस्तारित क्र. ५४३                    | <a href="mailto:deccgsward@bestundertaking.com">deccgsward@bestundertaking.com</a> |

१२. आयोगाने बेस्टला या सूचनेद्वारे त्यांच्या याचिकेवर जनतेकडून सूचना/आक्षेप मागविण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकाशित केलेल्या सार्वजनिक सूचनेला प्रतिसाद म्हणून, सूचना/आक्षेप नोंदविण्याची इच्छा असलेली व्यक्ती म.वि.नि. आयोगाच्या वेबसाईटवर ([www.merc.gov.in/e-public-consultation](http://www.merc.gov.in/e-public-consultation)) 'ईपब्लिक कन्सल्टेशन-' टॅबद्वारे त्यांच्या सूचना/आक्षेप इंग्रजी किंवा मराठी भाषेत लिखित स्वरूपात अपलोड करून सादर करू शकतात. या संबंधित कोणतीही अडचण आल्यास, संबंधित व्यक्ती म.वि.नि. आयोगाच्या कार्यालयाशी मोबाईल क्रमांक : ८९२८०७१५२२ किंवा ईमेल आयडी: [suggestions@merc.gov.in](mailto:suggestions@merc.gov.in) वर सर्व कामकाजाच्या दिवसांमध्ये सकाळी १०.०० ते संध्याकाळी ५.०० दरम्यान संपर्क साधू शकतात.

१३. ज्या व्यक्तीने 'ई-पब्लिक कन्सल्टेशन' टॅबवर सूचना आणि आक्षेप अपलोड केले आहेत त्यांना त्यांच्या सबमिशनची हार्ड कॉपी दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. ज्या व्यक्तींना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करता येत नाही ते त्यांच्या सूचना आणि आक्षेपांची हार्ड कॉपी सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC), १३ वा मजला, केंद्र क्रमांक १, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई - ४००००५ या पत्त्यावर नोंदवू शकतात आणि त्याची पोचपावती, महाव्यवस्थापक, बृहन्मंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, बेस्ट भवन, बेस्ट मार्ग, कुलाबा, मुंबई - ४००००९ (फॅक्स: ०२२ २२८५१२४४, ईमेल आयडी: [dcemerc@bestundertaking.com](mailto:dcemerc@bestundertaking.com)) या पत्त्यावर पाठवू शकतात. दिनांक १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी संध्याकाळी ५.०० वाजल्यानंतर प्राप्त झालेल्या सूचना आणि/किंवा आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही. इतर कोणत्याही पध्दतीने दाखल केलेल्या सूचना/आक्षेपांचा विचार केला जाणार नाही.

१४. बेस्ट, दिनांक १०.०२.२०२५ पर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व आक्षेप / टिप्पण्यांसाठी, प्राप्त झालेल्या प्रत्येक आक्षेप / टिप्पण्यांना ते मिळाल्यापासून तीन कामकाजाच्या दिवसांच्या आत परंतु दिनांक १३.०२.२०२५ पर्यंत उत्तर देईल. बेस्टने दिलेल्या उत्तरांवर प्रेषक/आक्षेपक त्यांचे प्रतीउत्तर ई-सार्वजनिक सुनावणी दरम्यान किंवा शेवटचे दिवशी दिनांक २०.०२.२०२५ पर्यंत सादर करू शकतात.

१५. वरील परिच्छेद १२ नुसार, जर प्रेषक/आक्षेपकर्ता ज्याने आपले अभिप्राय/सूचना सादर केल्या आहेत आणि ई-सार्वजनिक सुनावणीत स्वतःचे म्हणणे मांडायचे असेल, तर त्याने सूचना/आक्षेप दाखल करताना ते विशेषतः नमूद करावे. अशा प्रकरणांमध्ये, वैध ईमेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक सादर करणे अनिवार्य असेल. आयोग आपल्या परवानगीनुसार, अशा प्रेषक/आक्षेपकर्त्याला दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सकाळी १०:३० वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे होणाऱ्या ई.सार्वजनिक सुनावणीत आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी देऊ शकतो, ज्यासाठी कोणतीही वेगळी सूचना दिली जाणार नाही. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर करण्यात

अडचण येत असलेल्या व्यक्ती, सेंटरम हॉल, पहिला मजला, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, कुलाबा, मुंबई ४००००५ येथील ई-सुविधा केंद्राला प्रत्यक्ष भेट देऊन ई-सार्वजनिक सुनावणीला उपस्थित राहू शकतात.

१६. ई-सार्वजनिक सुनावणीला उपस्थित राहणाऱ्या सर्व सहभागींनी दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोगाने जारी केलेल्या आयोगा समोर याचिकेच्या ई-सुनावणीसाठी पाळल्या जाणाऱ्या 'कार्यपध्दती आणि प्रोटोकॉल' यावरील सराव निर्देशांचे पालन करावे.

मुंबई  
दिनांक

स्वाक्षरी

महाव्यवस्थापक,  
बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम